# फर्द अहकाम

## अशोक कुमार बनाम राज0 सरकार

संख्याः 133 / 2024

| दिनांक | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 13.06.2024 | वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 भू–राजस्थान अधिनियम 1956 का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। अप्रार्थी की तलवी जरिये रजिस्टर्ड जारी होकर पत्रावली दिनांक 12/6/24 को पेश हो।<br>[signature] | |
| 12/6/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते इन्तजार रिपोर्ट व इश्तहार तलबी हेतु दिनांक 14/6/2024 को पेश हो।<br>[signature]<br>उपखण्ड अधिकारी<br>जयपुर द्वितीय (सांगानेर) | |
| 14/6/24 | पत्रावली पे[illegible] [illegible] 0 साह[illegible] अन्य राज्य [illegible] है। [illegible] पत्रावली [illegible] 20/6/24 को पेश [illegible] | |
| 20/6/24 | पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी की बहस प्रारम्भिक सुनी गई प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर [illegible] [illegible] [illegible] शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] दाखिल [illegible]<br>उपखण्ड [illegible] | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:18:10 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र संख्या : 133/2024
निर्णय दिनांक :20.06.2024

1 अशोक कुमार पुत्र लेखराम जाति– रैगर, निवारी ग्राम बगरू कलां तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थी

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

## निर्णय

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 3646/8131 खसरा नम्बर 3647/8162 एवं 3711 कुल किता 03 कुल रकबा 1.71 हैक्टयर ग्राम बगरूकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थी की वादग्रस्त उत्तर पश्चिम दिशा की सीमाजोड़ भूमि खसरा नम्बर 3646/1, 3646/2, 3646 एवं 3726 स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी की वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 3646/8131 की उत्तरी–पश्चिमी दिशा की सीमा पर विधिवत् परिनिर्मित स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये गये है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में श्रीमान तहसीलदार सांगानेर के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत सीमाज्ञान प्रस्तुत किये थे जिसके आधार पर श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा दिनांक 09.06.2011 एवं 03. 07.2014 को समस्त पक्षकारों के समक्ष तहसील कर्मचारीयों पटवारी एवं गिरदावर के समक्ष उपस्थित होकर सीमाज्ञान कराया जा चुका है। प्रार्थी ने पडौसी खातेदारों को वादग्रस्त सीमा पर निर्माण कार्य करने हेतु तथा कृषि भूमि को अकृषि भूमि बनाने से पूर्व विधिवत् स्थाई सीमा चिन्ह कायम करवाने के लिए अनुरोध किया तो अप्रार्थीगण ने स्थाई सीमाचिन्ह विर्निमित करवाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया और कहा कि किसी प्रकार के स्थाई सीमाचिन्ह स्थापित नहीं करवायेंगे और जबरिया गैर कानूनी तौर तरीके से प्रार्थी की वादग्रस्त कृषि भूमि की दक्षिणी दिशा की सीमा पर पुख्ता दिवार का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया। उक्त कार्यवाही प्रार्थी के अधिकारो को गम्भीर रूप से प्रभावित करने वाली होने से शून्य एवं निष्प्रभावी है। प्रार्थी अधिकारी है कि वे मान्य न्यायालय से वादग्रस्त भूमि पर विधिवत् परिनिर्मित स्थाई सीमा चिन्ह कायम करावे तथा अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि पर जबरिया अवैध रूप से अतिक्रमण होने की अवस्था में अतिक्रमण को हटवावे। प्रार्थीगण को अपनी खेत सीमा को सुरक्षित रखने व पडोसी खातेदारों से लडाई झगडों से निज[illegible] पाने के लिये उक्त भूमि की सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी किया जाना कानूनी आवश्यक है। प्रार्थी को [illegible] दिनांक 21.05.2024 को जबरिया मनमाने एवं गैरकानूनी तौर [illegible] भूमि खसरा नम्बर 3646/8131 की उत्तरी पश्चिमी दिशा की सीमा [illegible] की सीमाजोड़ भूमि खसरा नम्बर 3646/1, 3646/2, 3646 एवं 3726 की पूर्वी दक्षिणी दिशा की सीमा मानते हुए उस पर दिवार बनाने पर आमादा होने से उत्प[illegible] होकर निरन्तर जारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:18:10 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

अतः आवेदन मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 3646/8131 खसरा नम्बर 3647/8162 एवं 3711 कुल किता 03 कुल रकबा 1.71 हैक्टयर तथा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 3646/8131 रकबा 0.71 हैक्टयर ग्राम बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर का सीमाज्ञान एवं पत्थगढी जरिये पुलिस ईमदार किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर प्रार्थी अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 3646/8131 खसरा नम्बर 3647/8162 एवं 3711 कुल किता 03 कुल रकबा 1.71 हैक्टयर तथा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 3646/8131 रकबा 0.71 हैक्टयर ग्राम बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर का सीमाज्ञान एवं पत्थगढी जरिये पुलिस ईमदार किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर अन्य किसी दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो अपने स्तर पर टीम गठित कर पडौसी खातेदारों की उपस्थिति में प्रार्थी व सहखातेदारों की वाके ग्राम बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 3646/8131 खसरा नम्बर 3647/8162 एवं 3711 कुल किता 03 कुल रकबा 1.71 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 3646/8131 रकबा 0.71 हैक्टयर की पत्थरगढी उप तहसीलदार बगरू से प्राप्त फर्द मौका–रिपोर्ट आदेश क्रमशः दिनांक 03.07.2014 के अनुसार कायम करें। आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद की सहायता प्राप्त करे।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:18:10 IST
Reason: SelfAttested